

म्यामालम उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

प्रकरण सं० २/३/६१-२२१० रजु ६-१-२२

बे फलु नाम अध्यापक जयपुर डि (कान)

६-१-२२ वकील शर्मा उपस्थित। यह जांच पत्र
२१२२११ वकील शर्मा ने मूल वाद के साथ
पेश किया। दर्ज पंजीक हो। अप्रार्थी गण
जमें नोटिस बलब हो। पत्रावली वास्ते
बलबी अपार्थी दिनांक २१-१-२२ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

२१-१-२२

वकील शर्मा उपस्थित। यह अपार्थी गण ~~का~~
बलबी जारी होकर पत्रावली वास्ते बलबी
अपार्थी दिनांक १६-२-२२ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

१६-२-२२ वकील शर्मा उपस्थित। अपार्थी गण की बलबी
द्वारा पत्रावली दिनांक १६-३-२२ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

१६-३-२२ वकुलार फरीकन उप०/प.०. साहब

..... है।

पत्रावली दिनांक १३-५-२२ को पेश हो

गोवि

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
बक्सू

मुकाम.....

गोविन्दगढ़ (अलवर)

बनाम.....

जयपुर सिस्टीम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
<p>09/2/24 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... 14.08.24के अर्थ में वारंट..... पत्रावली दिनांक..... 09/2/24 को पेश हो। रजिस्ट्रार</p> <p>09/2/24 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील पत्रावली दीर्घावधि के अर्थ में है। तलवी हेतु छार-वार अवसर स्थित गये हैं। तथा अंतिम अवसर के रूप में भी अनेक अवसर प्रदान किये गये हैं। इसके उपरांत भाड़ियां तक तक पुन तलबना पेश नहीं किया गया है।</p> <p>विविध प्रक्रिया सोहीना के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत में धारणा पत्र-212 खारिज किया जाता अर्थात् खारिज होता है। अतः धारणा पत्र-212 RTA विविध प्रक्रिया सोहीना के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सूभार लेकर नम्बर से क्रम हो। बाह्य तकसिल तहसील दायित्व दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.</p>		